39

[2020] 7 एस. सी. आर 39

क.

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम.

द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2020 की सिविल अपील संख्या 2632)

18 जून, 2020

[आर**.** भानुमति और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

एसएस।2(30) और 157-सड़क दुर्घटना में बीमित वाहन को नुकसान-दुर्घटना के संबंध में दर्ज की गई एफ. आई. आर.-बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक द्वारा स्पॉट सर्वेक्षण-बीमा दावा-बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि बीमित वाहन पहले से ही किसी और को बेच दिया गया था और पुलिस शिकायत दर्ज करने और बीमाकर्ता को दुर्घटना की सूचना देने में देरी हुई थी-दावेदार का मामला यह था कि हालांकि बिक्री समझौता किया गया था, लेकिन वाहन हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया गया था क्योंकि फाइनेंसर बैंक ने हस्तांतरण के लिए दावेदार को 'कोई आपत्ति' जारी नहीं की थी-जिला उपभोक्ता मंच के साथ-साथ राज्य आयोग ने बीमित व्यक्ति के दावे की अनुमति दी-राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःराष्ट्रीय आयोग ने समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलटने में गलती की, इन स्वीकार किए गए तथ्यों की अनदेखी करते हुए कि बीमित वाहन और परमिट का पंजीकरण दुर्घटना की तारीख को दावेदार के नाम पर था; वह दावेदार बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहा था; वह बीमा पॉलिसी दावेदार के नाम पर थी और वित्तदाता बैंक ने बीमित वाहन के हस्तांतरण के लिए 'कोई आपत्ति नहीं' जारी नहीं की थी-राष्ट्रीय आयोग ने बीमित वाहन में 'मालिक' की परिभाषा की भी अनदेखी की।2(30) और बीमा पॉलिसी यू/एस की हस्तांतरणीयता का प्रावधान।157. शब्द और वाक्यांशः

ग

डी.

ई.

च

“स्वामी "-का अर्थ, एस के संदर्भ में।2(30) मोटर वाहन अधिनियम, 1988।

जी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी विशिष्ट चल संपत्ति में संपत्ति खरीदार को ऐसे समय पर हस्तांतरित की जाती है जब अनुबंध के पक्ष इसे हस्तांतरित करने का इरादा रखते हैं**,** बशर्ते कि

एच.

39 ए.

40 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

अचल संपत्ति हस्तांतरण के लिए स्वतंत्र है, और/या दूसरे शब्दों में हस्तांतरण करने में सक्षम है।यदि हस्तांतरण में कोई बाधा है, जैसा कि तत्काल मामले में, जहां उक्त ट्रक के हस्तांतरण के लिए फाइनेंसर बैंक की 'कोई आपत्ति नहीं' अनिवार्य थी, तब तक स्वामित्व के हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था जब तक कि बाधा को हटा नहीं दिया जाता, अन्यथा हस्तांतरण का अनुबंध फाइनेंसर बैंक के लिए हानिकारक, अनैतिक, गैरकानूनी और अनुबंध अधिनियम, **1872** की धारा **23** और **24** के साथ पठित धारा **10** के तहत शून्य होगा।इस प्रकार, उक्त ट्रक के हस्तांतरण के लिए समझौते की यह एक अंतर्निहित शर्त थी कि हस्तांतरण केवल फाइनेंसर बैंक द्वारा 'अनापत्ति' जारी करने और मोटर वाहन के हस्तांतरण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन पर पूरा होगा।वर्तमान मामले में अनुबंध, संभवतः सुपुर्दगी योग्य राज्य में चल संपत्ति के हस्तांतरण का बिना शर्त अनुबंध नहीं हो सकता था, बल्कि हस्तांतरण का अनुबंध हो सकता था, जो फाइनेंसर बैंक से 'कोई आपत्ति नहीं' और मोटर वाहन अधिनियम, **1988** के वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन पर निर्भर था।माल बिक्री अधिनियम की धारा **19** और **20** आकर्षित नहीं होती हैं।**[**पारस **31-34] [53-G-H; 54-A-C]**

ग

डी.

2. राष्ट्रीय आयोग ने मोटर वाहन अधिनियम, **1988** की धारा **2 (30)** में 'मालिक' की परिभाषा की अनदेखी की।धारा **2 (30)** में 'मालिक' का अर्थ "एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक मोटर वाहन पंजीकृत है और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का अभिभावक, और एक मोटर वाहन के संबंध में जो एक किराया खरीद समझौते, या पट्टे के समझौते या काल्पनिक समझौते का विषय है, उस समझौते के तहत वाहन का कब्जा रखने वाला व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है।यह मानते हुए भी कि दुर्घटना के समय उक्त ट्रक खरीदार के कब्जे में था, ऐसा कब्जा पट्टा, किराया खरीद या फाइनेंसर बैंक के साथ किसी भी समझौते के तहत नहीं था।पुराने मोटर वाहन अधिनियम, **1939** के तहत मालिक की परिभाषा में बदलाव आया है।विधायिका ने जानबूझकर 'मालिक' की परिभाषा को बदल दिया है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके नाम पर मोटर वाहन खड़ा है।**[**पारस **35** और **36] [54-**डी**-**जी**]**

ई.

च

जी.

3. राष्ट्रीय आयोग ने मोटर वाहन अधिनियम **1988** के अन्य लागू प्रावधानों की भी अनदेखी की, विशेष रूप से धारा **39** से **41,50,51,66,69,82,84 (**जी**), 86 (**सी**), 146,157,177** ए

एच.

41

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत आश्वासन कंपनी लिमिटेड ए

और **192** ए। राष्ट्रीय आयोग ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अपीलार्थी को इस बात की जांच किए बिना कि क्या खरीदार ने फाइनेंसर बैंक को किसी भी किस्त का भुगतान किया था, प्रतिफल का भुगतान किया गया था। **[**पारस **37** और **39] [54-**जी**; 59-**बी**]**

4. राष्ट्रीय आयोग का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी के नाम पर उक्त ट्रक के पंजीकरण का तथ्य अप्रासंगिक था, भी कानून में टिकाऊ नहीं है।मोटर वाहन अधिनियम, **1988** की धारा **2 (30)** 'मालिक' को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है।राष्ट्रीय आयोग द्वारा 'मालिक' की परिभाषा की अनदेखी और उपेक्षा की गई है।यदि उक्त ट्रक का स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित करने का इरादा होता, तो पंजीकरण हस्तांतरणकर्ता के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाता, साथ ही माल की ढुलाई के लिए उक्त ट्रक को संचालित करने की अनुमति भी दी जाती।**[**पैरा **40] [59-**बी**-**सी**]5.** यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक व्यक्ति जिसने माल गाड़ी वाहन की बकाया राशि का हस्तांतरण किया है, वह हस्तांतरण

की सूचना नहीं देगा या पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए आवेदन नहीं करेगा, और इस तरह कानून के प्रावधानों के तहत वाहन के स्वामित्व के जोखिम और देनदारियों को वहन करना जारी रखेगा, जिसमें विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम, **1988** और अन्य आपराधिक/दंडात्मक कानूनों के तहत शामिल हैं।यह भी कारण नहीं है कि जिस व्यक्ति ने वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया है, उसे तीन साल से अधिक समय तक वाहन की खरीद के लिए ऋण चुकाना चाहिए, वाहन को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसियां लेनी चाहिए या अन्यथा स्वामित्व के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।यह भी उतना ही अविश्वसनीय है कि एक वाहन का मालिक जिसने वाहन प्राप्त करने के लिए विचार किया है, वह परमिट के हस्तांतरण पर जोर नहीं देगा और इस तरह वैध परमिट के बिना माल वाहन चलाने के दंडात्मक परिणाम के लिए खुद को उजागर करेगा।**[**पारस **41-42] [59-D-F]**

ग

डी.

ई.

च

6. राष्ट्रीय आयोग इस बात की भी सराहना करने में विफल रहा कि मोटर वाहन अधिनियम, **1988** की धारा **157** में यह प्रावधान है कि जहां एक व्यक्ति, जिसके पक्ष में मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय **11** के प्रावधानों के अनुसार बीमा का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उस मोटर वाहन का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, जिसके संबंध में इस तरह का बीमा उससे संबंधित बीमा नीति के साथ लिया गया था,

जी.

एच.

बीमा प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी को उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित किया गया माना जाना चाहिए जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया है, इसके हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी है।**[**पैरा **43] [59-**जी**-**एच**; 60-**ए**]**

7. धारा **157** के स्पष्टीकरण में सभी संदेहों को दूर करने के लिए स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के मानित हस्तांतरण में उक्त बीमा प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी के अधिकारों और देनदारियों का हस्तांतरण शामिल होगा।हस्तांतरणकर्ता, हस्तांतरण की तारीख से **14** दिनों के भीतर, बीमा के हस्तांतरण के तथ्य के संबंध में बीमा प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी में आवश्यक बदलाव करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में बीमाकर्ता को आवेदन कर सकता है।बीमित मोटर वाहन के हस्तांतरणकर्ता के लिए बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र में हस्तांतरण के समर्थन के लिए आवेदन करने से बचने का कोई कारण नहीं हो सकता है, जब वाहन का उपयोग करने के लिए तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करने वाला बीमा अनिवार्य है।**[**पैरा **44] [60-**बी**-**सी**]**

ग

8. किसी भी मामले में, यदि अपीलार्थी ने अप्रैल **2008** में वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया था, तो अपीलार्थी के लिए अपने नाम का बीमा कवर लेने का कोई कारण नहीं हो सकता है, जो **2.6.2011** से **1.6.2012** तक की अवधि को कवर करता है। यह अविश्वसनीय है कि हस्तांतरणकर्ता अपने स्वामित्व वाले वाहन के संचालन का जोखिम उठाएगा, अपने नाम पर बीमा की पॉलिसी लिए बिना, अन्य बातों के साथ-साथ, तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करते हुए, मोटर वाहन अधिनियम, **1988** की धारा **146** के जनादेश के बावजूद, जो तीसरे पक्ष के बीमा के बिना मोटर वाहन के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।**[**पैरा **45] [60-**डी**]**

डी.

ई.

9. वर्तमान मामले में बीमा पॉलिसी, स्पष्ट रूप से बीमा की एक व्यापक पॉलिसी थी जिसमें तीसरे पक्ष के जोखिम को भी शामिल किया गया था।बीमाकर्ता मालिक के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए बीमा अनुबंध के केवल एक हिस्से को अस्वीकार नहीं कर सकता था, जब वह दुर्घटना के कारण मृत्यु, चोट, हानि या क्षति के मामले में बीमा के उसी अनुबंध के तहत तीसरे पक्ष को अपने दायित्व से बच नहीं सकता था।**[**पैरा **50] [61-**जी**; 62-**ए**]**

च

जी.

10. दुर्घटना के तीन दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज की गई।इस प्रकार की किसी बड़ी दुर्घटना के मामले में, जैसे कि इस मामले में, जहां उक्त ट्रक कछुआ बन गया था और नदी में गिर गया था, आघातग्रस्त चालक की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने में यदि कोई देरी हो, तो ए नहीं कर सकता है।

एच.

43

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत आश्वासन कंपनी लिमिटेड ए

बीमित व्यक्ति के वैध दावे को विफल करें।माल के अंतर-राज्यीय परिवहन के दौरान गंभीर दुर्घटना के मामले में, दावा दर्ज करने में **20** दिनों की देरी भी कोई देरी नहीं है।यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा दायर दावा आवेदन पर समय की पाबंदी थी।इसके अलावा, बीमाकर्ता ने, किसी भी मामले में, नुकसान का आकलन करने के लिए अपने सर्वेक्षणकर्ताओं/मूल्यांकनकर्ताओं को विधिवत भेजा था।अपीलार्थी के दावे का विरोध, इस मामले में, या तो प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर, या दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के आधार पर, या दावा करने में देरी के आधार पर नहीं किया जा सकता था।**[**पैरा **51] [62-**बी**-**सी**]**

11. राष्ट्रीय आयोग ने जिला फोरम और राज्य आयोग के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को पलटते हुए कानून में गलती की, जिसमें अपीलकर्ता के नाम पर उक्त ट्रक का पंजीकरण, दुर्घटना की तारीख को भी, कथित हस्तांतरण के तीन साल बाद भी, अपीलकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान, अपीलकर्ता के नाम पर बीमा पॉलिसी जारी करना, तीन साल और सात महीने के बाद भी अपीलकर्ता के नाम पर परमिट जारी करना, फाइनेंसर बैंक से 'अनापत्ति' की अनुपस्थिति आदि और मोटर वाहन अधिनियम की धारा **2 (30)** में मालिक की परिभाषा की अनदेखी करना, साथ ही मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को भी नजरअंदाज करना शामिल है।**[**पैरा **53] [62-**ई**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

12. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं था, जिसके आधार पर राष्ट्रीय आयोग जिला मंच और राज्य आयोग के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट सकता था, जिसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि उक्त ट्रक का स्वामित्व कभी भी हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया गया था।**[**पैरा **29] [52-**डी**-**ई**]**

च

13. अपील के तहत राष्ट्रीय आयोग के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और जिला मंच के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।बीमाकर्ता अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करेगा-जैसा कि जिला मंच द्वारा निर्देश दिया गया है-इस न्यायालय द्वारा दावे की तारीख से भुगतान की तारीख तक **9** प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ।रुपये की राशि। **5, 000/-** जिला मंच द्वारा प्रदान किया गया

जी.

एच.

44 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के लिए और रु। मुकदमे की लागत के लिए दिए गए **2,000/-** रुपये पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।बीमाकर्ता रुपये की समग्र राशि का भुगतान करेगा। **1,00,000-**अपीलार्थी को उसके वैध बकाया को रोककर अपीलार्थी को हुई पीड़ा के लिए लागत और मुआवजे के लिए।**[**पैरा **57] [63-**डी**-**एफ**]**

पुष्प @लीला और अन्य बनाम शकुंतला और अन्य

(2011) 2 एससीसी 240:[2011] 1 एस. सी. आर. 334; नवीन कुमार बनाम विजय कुमार और अन्य (2018) 3 एस. सी. सी. 1:[2018] 2

एस**.** सी**.** आर**. 572;** ओम प्रकाश बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस

और एक अन्य (2017) 1 एस. सी. सी. 724-पर भरोसा किया।

कम्पलीट इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम न्यू इंडियन एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(1996) 1** एस**.** सी**.** सी**. 221: [1995] 5** पूरक।एससीआर **500;** डॉ**.** टी**.** वी**.** जोस बनाम चाको पी**.** पी**.**

ग

थंकाचन और ओआरएस। (2001) 8 एससीसी 748:[2001] 3

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 366;** ओरिएंटल इंश्योरेंस बनाम सोनी चेरियम

(1999) 6 एससीसी **451:[1999] 1** पूरक।एससीआर **622-**प्रतिष्ठित।

डी.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1995] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 500** विशिष्ट पैरा **46 [2001] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 366** विशिष्ट पैरा **46 [2011] 1** एस**.** सी**.** आर**. 334**

ई.

पर भरोसा किया

पैरा **47**

[2018] 2 एससीआर **572**

पर भरोसा किया

पैरा **48**

(2017) 1 एस**.** सी**.** सी**. 724**

पर भरोसा किया

पैरा **52 [1999] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 622** विशिष्ट पैरा **55**

च

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2632।

2014 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 4126 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

जी.

सुश्री स्वाति आर्य, पवन कुमार रे, सुश्री रित अरोड़ा, मोहित राय, दीपक गोयल, सुश्री दिव्या रॉय, सलिल पॉल, साहिल पॉल, सुश्री मंजीत चावला, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

एच.

45

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत आश्वासन कंपनी लिमिटेड ए

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित एक निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसे इसके बाद 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई है, जिसे इसके बाद 'बीमाकर्ता' के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, रायपुर द्वारा पारित एक आदेश को दरकिनार कर दिया गया है, जिसे इसके बाद 'जिला मंच' के रूप में संदर्भित किया गया है, जो 2012 के शिकायत मामले को अनुमति देता है; और छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पंडरी, रायपुर (सी. जी.) द्वारा पारित एक आदेश जिसे इसके बाद राज्य आयोग के रूप में संदर्भित किया गया है।

ग

डी.

3. अपीलार्थी अशोक लेलैंड 2214 ट्रकक मालिक छल जकर पंजीकरण संख्या C.G.04/JA 3835 छल, जकरा बीमाकर्ता द्वारा जारी बीमा पॉलिसी द्वारा कवर कयल गेल छल जकर पॉलिसी संख्या 45030031110100001693 छल, जे 2.6.2011 सँ 1.6.2012 धरि अवधि लेल प्रभावी छल।

ई.

4. आई. डी. 1 को रायपुर में अमोनिया नाइट्रेट से लदे उक्त लॉरी ने धनबाद के लिए अपनी यात्रा शुरू की, जहाँ अमोनिया नाइट्रेट को उतारा जाना था।ट्रक चालक राजेंद्र सिंह चला रहा था।

5. आई. डी. 1 को, लगभग 1.45 बजे, जब उक्त ट्रक रायपुर से धनबाद की यात्रा पर था, झारखंड में गुमला के भाकुवा टॉयलेट पुलिस स्टेशन के पास दुर्घटना हो गई।यह कहा गया है कि रास्ते में आई एक गाय को बचाने के लिए एक पुलिया के पास उक्त ट्रक से बातचीत करते समय चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त ट्रक कछुआ बन गया और सड़क के किनारे एक नदी में गिर गया और बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गया।ट्रक में ले जाया गया अमोनिया नाइट्रेट भी बह गया।6. दुर्घटना की सूचना गुमला पुलिस स्टेशन, जिला गुमला, झारखंड को 16.11.2011 पर दी गई थी और 25.11.2011 पर अपीलार्थी ने मोहम्मद इलियास अंसारी के माध्यम से बीमाकर्ता के पास दावा दर्ज कराया था।

च

जी.

7. दुर्घटना और दावे के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, बीमाकर्ता ने एक स्वतंत्र सर्वेक्षक और हानि निर्धारक नियुक्त किया

एच.

स्थल सर्वेक्षण करें।बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ता और हानि निर्धारक, श्री बीरेंद्र कुमार गुप्ता ने एक स्थल सर्वेक्षण किया और 29.11.2011 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

8. इसके बाद बीमाकर्ता ने अंतिम सर्वेक्षण करने के लिए श्री ज्ञान चंद्र, मूल्यांकनकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता, हानि आकलनकर्ता और अन्वेषक को नियुक्त किया।उक्त श्री ज्ञान चंद्र ने बचाव मूल्य की कटौती के बाद बीमाकर्ता से रुपये 4,93,500 पर वसूली योग्य नुकसान का आकलन करते हुए दिनांक 25.1.2012 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

9. हालाँकि, नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, बीमाकर्ता ने अपीलार्थी को 22.3.2012 दिनांकित एक कारण दर्शाओ पत्र जारी किया जिसमें अपीलार्थी से यह कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि अपीलार्थी के दावे को इस आरोप पर क्यों अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसने पहले ही उक्त ट्रक को उक्त मोहम्मद इलियास अंसारी को 11.4.2008 पर बेच दिया था।हालाँकि, यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी दुर्घटना की तारीख को उक्त ट्रक का पंजीकृत मालिक बना रहा।

ग

10. यह अपीलार्थी का मामला है कि उक्त ट्रक जिसे आईसीआईसीआई बैंक से वित्त के साथ खरीदा गया था, वह आईसीआईसीआई बैंक को दिया गया था और इसे आईसीआईसीआई बैंक की सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था।आईसीआईसीआई बैंक ने उक्त ट्रक के हस्तांतरण के लिए अपीलकर्ता को 'अनापत्ति' जारी नहीं की थी, क्योंकि दुर्घटना की तारीख तक आईसीआईसीआई बैंक के बकाया का पूरा भुगतान नहीं किया गया था।हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने उक्त मोहम्मद इलियास अंसारी के साथ एक बिक्री समझौता किया था।

डी.

ई.

11. अपीलार्थी दावा करता है कि उसने कारणदर्शक पत्र का विधिवत जवाब दिया और उसने बीमाकर्ता को 2.6.2012 पर एक कानूनी नोटिस भी भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं था।बीमाकर्ता दावे पर विवाद कर रहा था, क्योंकि यह मोहम्मद इलियास अंसारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और पुलिस शिकायत दर्ज करने और बीमाकर्ता को दुर्घटना की सूचना देने में देरी के आधार पर भी।

च

12. अपीलार्थी ने स्वयं 22.8.2012 पर फिर से मोटर दावा प्रस्तुत किया, लेकिन बीमाकर्ता ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।22.8.2012 दिनांकित एक पत्र के आवरण के तहत, अपीलार्थी ने पंजीकृत डाक द्वारा बीमाकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र भेजा।

जी.

13. दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अपीलार्थी के दावे को जारी नहीं करने में बीमाकर्ता कंपनी की कार्रवाई से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2012 की शिकायत संख्या 404 के साथ जिला मंच से संपर्क किया, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

एच.

47

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

14. दिनांक 9.1.2014 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, जिला मंच ने अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत को स्वीकार कर लिया और बीमाकर्ता को निर्देश दिया कि वह शिकायत दर्ज करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ एक महीने के भीतर अपीलार्थी को रु. 4,93,500 का भुगतान करे और बीमाकर्ता को आगे निर्देश दिया कि वह अपीलार्थी को मानसिक पीड़ा के मुआवजे के लिए रु. 5,000/- और मुकदमे की लागत के लिए रु. 2,000/- का भुगतान करे।

15. बीमाकर्ता ने राज्य आयोग से अपील की।उक्त अपील, अपील No.FA/14/85 होने के कारण, राज्य आयोग द्वारा दिनांकित 22.7.2014 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे बीमाकर्ता द्वारा 2014 की संशोधन याचिका संख्या 4126 दायर करके राष्ट्रीय आयोग के समक्ष चुनौती दी गई थी।

ग

16. हमारे समक्ष आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी है, क्रमशः जिला मंच और राज्य आयोग के आदेशों को दरकिनार कर दिया है, और अपीलार्थी की शिकायत को खारिज कर दिया है।

डी.

17. जिला फोरम के दिनांक आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से, यह स्पष्ट है कि बीमाकर्ता द्वारा शिकायत का विरोध इस कथित आधार पर किया गया था कि अपीलार्थी ने उक्त ट्रक को मोहम्मद इलियास अंसारी को रुपये आई. डी. 2 के लिए बेच दिया था-और पुलिस शिकायत दर्ज करने और नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए दावा दर्ज करने में देरी के आधार पर भी।

ई.

18. जिला फोरम के समक्ष, बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के दावे को बीमाकर्ता द्वारा 22.3.2012 दिनांकित एक पत्र द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो अपीलकर्ता द्वारा 22.3.2012 पर विधिवत प्राप्त किया गया था।उक्त पत्र का कोई जवाब नहीं आया।दूसरी ओर, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि भले ही उसने मोहम्मद इलियास अंसारी के साथ एक बिक्री समझौता किया था, लेकिन उसने वास्तव में वाहन का स्वामित्व उसे हस्तांतरित नहीं किया था।बिक्री समझौते के बाद भी, अपीलकर्ता स्वयं उक्त ट्रक की खरीद के लिए प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक को किश्तों का भुगतान कर रहा था।

च

जी.

19. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसे उक्त ट्रक के लिए पूरा भुगतान नहीं किया गया था, यहां तक कि 13.11.2011 पर देर से, जब दुर्घटना हुई थी।यही कारण है कि अपीलार्थी ने स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था और पॉलिसी संख्या 450300311101000016 93 निकाली थी।अपीलार्थी ने दृढ़ता से तर्क दिया कि बीमाकर्ता ने जिला मंच के समक्ष दस्तावेज़ का एक टुकड़ा प्रस्तुत नहीं किया था ताकि यह दिखाया जा सके कि

एच.

48

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

उन्होंने कहा कि बीमा पॉलिसी संख्या 45030031110100001693 का भुगतान मोहम्मद इलियास अंसारी ने किया था। अपीलार्थी के नाम पर वाहन के पंजीकरण को मोहम्मद इलियास अंसारी में बदलने के लिए भी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।उक्त ट्रक के संचालन का परमिट भी अपीलार्थी के नाम पर था।

20. जिला फोरम ने अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि उक्त ट्रक का स्वामित्व मोहम्मद इलियास अंसारी को हस्तांतरित नहीं किया गया था, और नीचे संक्षेप में दिए गए कारणों के लिए अपने दिनांकित 9.1.2014 के आदेश द्वारा शिकायत की अनुमति दीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1. भले ही मोहम्मद इलियास अंसारी के साथ बिक्री समझौता दिनांकित था, लेकिन अपीलकर्ता ने उक्त ट्रक की खरीद के लिए आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किश्तों का भुगतान करना जारी रखा।

ग

2. अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे कि उसने 11.4.2008 के बाद और यहाँ तक कि 31.05.2011 पर भी बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान किया था।

डी.

3. बीमाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की थी कि बीमा प्रीमियम का भुगतान अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि मोहम्मद इलियास अंसारी द्वारा भुगतान किया गया था।

4. उक्त ट्रक अपीलार्थी के नाम से पंजीकृत था और माल की ढुलाई के लिए उक्त ट्रक के संचालन का परमिट भी उसके नाम पर था।

ई.

5. मोहम्मद इलियास अंसारी ने दुर्घटना के कारण वाहन को हुए नुकसान के लिए अपीलार्थी को मुआवजा जारी करने पर आपत्ति नहीं जताई थी।

च

6. बीमाकर्ता ने यह स्थापित नहीं किया था कि चालक राजेंद्र सिंह मोहम्मद इलियास अंसारी का कर्मचारी था।

21. अपीलार्थी की ओर से जिला मंच के समक्ष यह भी तर्क दिया गया था कि बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता ने सर्वेक्षण के बाद अपीलार्थी से सहमति पत्र लिया था, लेकिन मोहम्मद इलियास अंसारी या चालक से कोई बयान नहीं लिया था जिससे यह पता चल सके कि मोहम्मद इलियास अंसारी उक्त ट्रक का मालिक था, या चालक मोहम्मद इलियास अंसारी का कर्मचारी था।

जी.

22. जिला मंच ने इस प्रकार इस दावे की अनुमति देते हुए कहा कि अपीलकर्ता वाहन का मालिक बना रहेगा।ए के आधार पर

एच.

49

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

बचावकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार, सकल देयता की गणना रु. 8,48,500 पर की गई थी-जिसमें से बचाव मूल्य रु. 3,55,000-की कटौती की गई थी और बीमाकर्ता से वसूली योग्य शुद्ध नुकसान की गणना रु. 4,93,500-पर की गई थी।

23. जिला फोरम ने बीमाकर्ता को शिकायत की स्थापना की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ, यानी मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये की राशि और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 2,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

24. अपील में राज्य आयोग ने पाया किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"11. हमने जिला फोरम के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।विचाराधीन वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) सुरेंद्र कुमार भिलावे का नाम पंजीकृत मालिक के रूप में दर्ज किया गया है।गुड व्हीकल के लाइसेंस में भी No.C.G.04-JA-3835 वाला वाहन प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) सुरेंद्र कुमार भिलावे के नाम से पंजीकृत है और बीमा पॉलिसी प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) सुरेंद्र कुमार भिलावे के नाम से 02.06.2011 से 01.06.2012 तक की अवधि के लिए जारी की गई थी।उपरोक्त दस्तावेजों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन वाहन अभी भी प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) के नाम पर दर्ज किया गया था, जिसने स्वयं अपीलार्थी (बीमा कंपनी) से बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी।

डी.

ई.

12. प्रत्यर्थी (शिकायतकर्ता) ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रत्यर्थी (शिकायतकर्ता) सुरेंद्र कुमार भिलावे को भेजा गया दिनांकित 08.01.2014 का पत्र और खाते का विवरण दाखिल किया।ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण स्वयं प्रत्यर्थी (शिकायतकर्ता) द्वारा जमा किया जा रहा था और अपीलार्थी (ऑप्स) ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सका जो यह दर्शाता हो या इंगित करता हो कि ऋण की राशि मोहम्मद द्वारा भुगतान की गई थी।इलियास अंसारी, प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) के नाम पर।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) ने स्वयं आईसीआईसीआई बैंक में ऋण राशि जमा की थी, जहाँ से उसने ऋण प्राप्त किया था।13. प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) सुरेंद्र कुमार भिलावे और मोहम्मद इलियास अंसारी के बीच 11.04.2008 पर एक समझौता किया गया था और प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) द्वारा 02.06.2011 पर बीमा पॉलिसी प्राप्त की गई थी, जो था

च

जी.

एच.

02.06.2011 से 01.06.2012 तक की अवधि से प्रभावी।यदि विचाराधीन वाहन प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) द्वारा मोहम्मद इलियास अंसारी को हस्तांतरित किया गया होता, तो प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) आर. टी. ओ. को मोहम्मद इलियास अंसारी के पक्ष में वाहन स्थानांतरित करने के बारे में सूचित कर सकता था और मोहम्मद इलियास अंसारी स्वयं ऋण की राशि आई. सी. आई. सी. आई. बैंक में जमा कर सकते थे।तत्काल मामले में, मोहम्मद इलियास अंसारी अपीलार्थी (ऑप्स) के लिए यह साबित करने के लिए एक भौतिक साक्ष्य है कि उसने प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) और मोहम्मद इलियास अंसारी से वाहन खरीदा था, इसलिए, केवल प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) और मोहम्मद इलियास अंसारी के बीच निष्पादित समझौता दायर करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन वाहन प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) द्वारा मोहम्मद इलियास अंसारी को विधिवत हस्तांतरित किया गया था और मोहम्मद इलियास अंसारी विचाराधीन वाहन का मालिक है।

ग

14. एल. डी. जिला फोरम ने विवादित आदेश के पैरा 12 में कहा है कि मोहम्मद इलियास अंसारी ने प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर शिकायत के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई है, जिससे यह साबित होता है कि बिक्री समझौता

अर्थहीन है।अपीलार्थी (ओ. पी.) यह साबित नहीं कर सका कि राजेंद्र सिंह नदी मोहम्मद इलियास अंसारी का कर्मचारी था, जबकि प्रत्यर्थी (शिकायतकर्ता) का तर्क है कि 08.08.2012 दिनांकित पत्र के माध्यम से जो अपीलार्थी (ओ. पी.) (बीमा कंपनी) को प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि उपरोक्त बिक्री समझौते द्वारा, खरीदार को कोई अधिकार नहीं मिला है और केवल प्रत्यर्थी (शिकायतकर्ता) वाहन का पंजीकृत मालिक है।पैरा 13 में, जिला फोरम ने पाया है कि प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) का तर्क यह है कि सर्वेक्षणकर्ता, जिसे बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था, ने सर्वेक्षण करने के बाद प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) का 02.01.2012 दिनांकित सहमति पत्र लिया है।अपीलार्थी (ओ. पी.) ने कोई सबूत दाखिल नहीं किया था कि उन्होंने मोहम्मद इलियास अंसारी का बयान लिया था या ड्राइवर का बयान जिसमें उल्लेख किया गया था कि वाहन मोहम्मद इलियास अंसारी का था।15. जिला फोरम द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित है और किसी भी क्षेत्राधिकार ए से ग्रस्त नहीं है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

51

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

गलती से, अनियमितता या अवैधता, इसलिए इस आयोग द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

25. राष्ट्रीय आयोग ने जिला मंच और राज्य आयोग के आदेशों को दरकिनार कर दिया, जिससे दोनों मंचों के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया और इस आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी ने अपना वाहन मोहम्मद इलियास अंसारी को बेच दिया था।

26. राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि जब किसी वाहन का मालिक अपना वाहन बेचता है और वाहन में संपत्ति के स्वामित्व को किसी भी तरह से स्थगित किए बिना बिक्री पत्र निष्पादित करता है, तो वाहन में स्वामित्व बिक्री पत्र के निष्पादन पर खरीदार को चला जाता है।खरीदार को वाहन की डिलीवरी, उस शीर्षक को मजबूत करती है जो खरीदार को उसके पक्ष में बिक्री पत्र के निष्पादन पर वाहन को मिलता है।राष्ट्रीय आयोग ने भी अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला, क्योंकि दुर्घटना के तीन दिन बाद यानी आईडी2 पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और दुर्घटना के 12 दिन बाद यानी आईडी1 पर अपीलार्थी को दावे की सूचना दी गई थी।27. राष्ट्रीय आयोग ने आयोजित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“श्री मोहम्मद के साथ शिकायतकर्ता द्वारा निष्पादित दिनांकित 11.4.2008 बिक्री समझौते का अवलोकन।इलियास अंसारी बताएगा कि शिकायतकर्ता ने उपरोक्त वाहन का कब्जा श्री अंसारी को रुपये के भुगतान पर सौंप दिया है-चूंकि वाहन को आईसीआईसीआई बैंक से वित्तपोषित किया गया था, इसलिए शेष भुगतान खरीदार द्वारा सीधे उक्त बैंक को किया जाना था। उपरोक्त दस्तावेज़ से यह भी पता चलता है कि शिकायतकर्ता को श्री अंसारी से 11.4.2008 पर रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, यह विधिवत साबित हो गया है कि शिकायतकर्ता को न केवल श्री अंसारी के साथ सहमत बिक्री पर विचार प्राप्त हुआ था, बल्कि उसने 11.4.2008 पर वाहन का कब्जा भी उसे सौंप दिया था।

ई.

च

7. यद्यपि दुर्घटना के समय तक वाहन श्री अंसारी के नाम से पंजीकृत नहीं हुआ था, लेकिन हमारी राय में, 11.4.2008 पर बिक्री पहले ही पूरी हो चुकी होने के कारण इसका कोई परिणाम नहीं होगा।"

जी.

28. राष्ट्रीय आयोग ने जिला मंच और राज्य आयोग के निम्नलिखित समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दियाः- (I) कथित बिक्री समझौते की तारीख के बाद भी, अर्थात,

एच.

52

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

11.4.2008, अपीलार्थी ने उक्त ट्रक की खरीद के लिए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक को किश्तों का भुगतान करना जारी रखा।

(ii) आईसीआईसीआई बैंक ने न तो उक्त ट्रक को अनुमान से मुक्त किया था और न ही उक्त ट्रक की बिक्री के लिए 'कोई आपत्ति' दी थी।

(iii) अपीलार्थी ने प्रीमियम का भुगतान किया और अपने नाम से 31.5.2011 पर या उसके आसपास 2.6.2011 से 1.6.2012 तक की अवधि को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी ली।यह कथित बिक्री समझौते की तारीख के तीन साल बाद की बात है।

ग

(iv) अपीलार्थी या मोहम्मद इलियास अंसारी द्वारा उक्त ट्रक का पंजीकरण मोहम्मद इलियास अंसारी के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

(v) कथित ट्रक के संचालन का परमिट कथित बिक्री समझौते के तीन साल बाद भी अपीलार्थी के नाम पर था।29. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कोई भी ठोस सबूत नहीं था, जिसके आधार पर राष्ट्रीय आयोग जिला मंच और राज्य आयोग के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट सकता था, जिसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि उक्त ट्रक का स्वामित्व कभी भी मोहम्मद इलियास अंसारी को हस्तांतरित नहीं किया गया था।30. वास्तव में, राष्ट्रीय आयोग ने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नहीं दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

(i) अपीलार्थी या मोहम्मद इलियास अंसारी के बाद आईसीआईसीआई बैंक को वास्तव में किस ने किश्तों का भुगतान किया? जिला फोरम और राज्य आयोग का समवर्ती निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने आई. डी. 1 के बाद भी आई. सी. आई. सी. आई. बैंक को किश्तों का भुगतान किया, इसलिए अडिग रहा।

च

(ii) यदि उक्त ट्रक का स्वामित्व 11.4.2008 पर हस्तांतरित किया गया था, तो अपीलकर्ता उक्त ट्रक की खरीद के लिए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक को किश्तों का भुगतान क्यों जारी रखेगा?

जी.

(iii) क्या उक्त ट्रक के हस्तांतरण के लिए आईसीआईसीआई बैंक से कोई 'अनापत्ति' प्राप्त हुई थी?

((iv) क्या अपीलकर्ता आईसीआईसीआई बैंक से 'अनापत्ति' के बिना उक्त ट्रक को हस्तांतरित कर सकता था?

एच.

53

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

(v) 2.6.2011 से 1.6.2012 तक प्रभावी उक्त पॉलिसी No.45030031110100001693 के लिए वास्तव में 31.5.2011 पर बीमा प्रीमियम का भुगतान किसने किया?

(vi) यदि उक्त ट्रक का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया था, तो अपीलार्थी ने तीन साल से अधिक समय के बाद 31.5.2011 पर भी अपने नाम से उक्त ट्रक को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी क्यों ली होगी?

((vii) क्या चालक राजेंद्र सिंह अपीलार्थी का कर्मचारी था या मोहम्मद इलियास अंसारी का?क्या इस संबंध में कोई बयान ड्राइवर राजेंद्र सिंह या मोहम्मद इलियास अंसारी से लिया गया था?

ग

(viii) क्या मोहम्मद इलियास अंसारी के नाम पर उक्त ट्रक के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए कभी कोई कदम उठाए गए थे?

(ix) यदि उक्त ट्रक का स्वामित्व मोहम्मद इलियास अंसारी को हस्तांतरित कर दिया गया था, तो उन्होंने तीन साल बाद भी उक्त ट्रक का पंजीकरण अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए?

डी.

(x) उक्त ट्रक स्टैंड के संचालन की अनुमति किसके नाम पर दी गई थी?(xi) मोहम्मद इलियास अंसारी अपीलार्थी के नाम पर परमिट के साथ उक्त ट्रक को क्यों चलाएगा, अगर वह इसका मालिक था, जिससे वह मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडात्मक परिणामों का सामना करेगा?

ई.

(xii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों को देखते हुए क्या उक्त ट्रक का स्वामित्व हस्तांतरणकर्ता के नाम पर पंजीकरण के हस्तांतरण के बिना हस्तांतरित किया जा सकता है?31. हमारी सुविचारित राय में, माल बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 19 और 20, जो उस चरण से संबंधित है जिस पर चल माल में संपत्ति खरीदार को जाती है, बीमाकर्ता के लिए कोई सहायता नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी विशिष्ट चल संपत्ति में संपत्ति खरीदार को ऐसे समय पर हस्तांतरित की जाती है जब अनुबंध के पक्ष इसे स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं, बशर्ते ऐसी अचल संपत्ति हस्तांतरण के लिए स्वतंत्र हो, और/या दूसरे शब्दों में हस्तांतरण करने में सक्षम हो।

च

जी.

32. यदि हस्तांतरण में कोई बाधा है, जैसा कि तत्काल मामले में, जहां उक्त ट्रक के हस्तांतरण के लिए फाइनेंसर बैंक की 'कोई आपत्ति नहीं' अनिवार्य थी, तब तक स्वामित्व के हस्तांतरण का कोई सवाल नहीं हो सकता है जब तक कि

एच.

बाधा को हटा दिया गया था, अन्यथा हस्तांतरण के लिए अनुबंध वित्तदाता बैंक के लिए हानिकारक, अनैतिक, गैरकानूनी और अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 और 24 के साथ पठित धारा 10 के तहत अमान्य होगा। 33.इस प्रकार, उक्त ट्रक के हस्तांतरण के लिए समझौते की यह एक अंतर्निहित शर्त थी कि हस्तांतरण केवल फाइनेंसर बैंक द्वारा 'अनापत्ति' जारी करने और मोटर वाहन के हस्तांतरण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन पर पूरा होगा।

34. इस मामले में अनुबंध, संभवतः सुपुर्दगी योग्य राज्य में चल संपत्ति के हस्तांतरण का बिना शर्त अनुबंध नहीं हो सकता था, बल्कि हस्तांतरण का अनुबंध हो सकता था, जो आईसीआईसीआई बैंक से 'कोई आपत्ति नहीं' और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन पर निर्भर था।माल बिक्री अधिनियम की धारा 19 और 20 आकर्षित नहीं होती हैं।

ग

35. राष्ट्रीय आयोग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (30) में 'मालिक' की परिभाषा की अनदेखी की।धारा 2 (30) में 'मालिक' का अर्थ "एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक मोटर वाहन पंजीकृत है और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का अभिभावक, और एक मोटर वाहन के संबंध में जो एक किराया खरीद समझौते, या पट्टे के समझौते या काल्पनिक समझौते का विषय है, उस समझौते के तहत वाहन का कब्जा रखने वाला व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है।यह मानते हुए भी कि दुर्घटना के समय उक्त ट्रक मोहम्मद इलियास अंसारी के कब्जे में था, ऐसा कब्जा आईसीआईसी बैंक के साथ पट्टे, किराए की खरीद या परिकल्पना के किसी भी समझौते के तहत नहीं था।

डी.

ई.

36. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (30) में मालिक की परिभाषा और मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 2 (19) में मालिक की परिभाषा के बीच के अंतर पर भी ध्यान देना उचित होगा, जिसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया है।पुराने अधिनियम के तहत 'मालिक' का अर्थ था मोटर वाहन रखने वाला व्यक्ति।परिभाषा में बदलाव आया है।विधायिका ने जानबूझकर 'मालिक' की परिभाषा को बदल दिया है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके नाम पर मोटर वाहन खड़ा है।

च

जी.

37. राष्ट्रीय आयोग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्य लागू प्रावधानों की भी अनदेखी की, विशेष रूप से धारा 39 से 41,50,51,66,69,82,84 (जी), 86 (सी), 146,157,177 और 192 ए।

38. मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:- ए.

एच.

"50. स्वामित्व का हस्तांतरण **-**

1) जहां इस अध्याय के तहत पंजीकृत किसी मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है -

(क) हस्तांतरणकर्ता -

(i) उसी राज्य के भीतर पंजीकृत वाहन के मामले में, हस्तांतरण के चौदह दिनों के भीतर, हस्तांतरण के तथ्य को ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसे तरीके से, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उस पंजीकरण प्राधिकरण को, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर हस्तांतरण किया जाना है, सूचित करें और साथ ही साथ उक्त रिपोर्ट की एक प्रति हस्तांतरणकर्ता को भेजें; और

ग

((ख)।

(बी) हस्तांतरणकर्ता, हस्तांतरण के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण प्राधिकरण को हस्तांतरण की रिपोर्ट करेगा जिसके भीतर

अधिकारिता उसके पास वह निवास या व्यवसाय का स्थान है जहाँ वाहन सामान्य रूप से रखा जाता है, जैसा भी मामला हो, और वह निर्धारित शुल्क के साथ उस पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण का प्रमाण पत्र भेजेगा और स्वामित्व के हस्तांतरण से उसके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति पंजीकरण के प्रमाण पत्र में दर्ज की जा सकती है।

डी.

ई.

(3) यदि हस्तांतरणकर्ता, यथास्थिति, उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हस्तांतरण के तथ्य की सूचना पंजीकरण प्राधिकरण को देने में विफल रहता है, या यदि वह व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के तहत आवेदन करने की आवश्यकता है (इसके बाद इस धारा में अन्य व्यक्ति के रूप में संदर्भित) निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा आवेदन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकरण, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता या अन्य व्यक्ति से, यथास्थिति, धारा 177 के तहत उसके खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के बदले में ऐसी राशि का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है जो एक सौ रुपये से अधिक न हो।

च

जी.

बशर्ते कि धारा 177 के तहत हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहां वह उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

एच.

××× ××× ×××

66. अनुमतियों की आवश्यकता **-**

(1) मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का उपयोग या अनुमति नहीं देगा, चाहे वह वाहन वास्तव में किसी यात्री या सामान को ले जा रहा हो या नहीं, सिवाय किसी क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी निर्धारित प्राधिकरण द्वारा दिए गए या प्रति-हस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के जो उसे उस स्थान पर वाहन के उपयोग के लिए उस तरीके से अधिकृत करता है जिसमें वाहन का उपयोग किया जा रहा है।

×××

×××

×××

ग

82.परमिट का हस्तांतरण **-**

(1)उप**-**धारा **(2)** में दिए गए प्रावधान के अलावा**,** एक परमिट नहीं होगा

पारमिट देने वाले परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय और ऐसी अनुमति के बिना**,** किसी भी व्यक्ति को उस वाहन का उपयोग करने का कोई अधिकार प्रदान करने के लिए काम नहीं करेगा**,** जिसे परमिट द्वारा अधिकृत तरीके से उस वाहन का उपयोग करने का कोई अधिकार हस्तांतरित किया गया है।

डी.

××× ××× ×××

84. सभी परमिट से जुड़ी सामान्य शर्तें

ई.

प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी -

(छ) कि प्रचालक का नाम और पता हर उस वाहन पर चित्रित किया जाएगा या अन्यथा दृढ़ता से चिपकाया जाएगा जिससे उस वाहन के शरीर के बाहरी हिस्से में दोनों तरफ परमिट संबंधित है, एक रंग या रंग में जो वाहन के रंग से स्पष्ट रूप से विपरीत है, खिड़की की रेखा के नीचे मोटे अक्षरों में जितना संभव हो उतना ऊंचा केंद्रित है।

च

×××

×××

×××

जी.

86. परमिट रद्द करना और निलंबित करना।**- -**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

(1) जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है**,** वह परमिट को रद्द कर सकता है या इसे उस अवधि के लिए निलंबित कर सकता है जो वह उचित समझता है।

एच.

57

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

(ग) यदि परमिट धारक परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन का मालिक नहीं है,

××× ××× ×××

140. कुछ मामलों में कोई गलती नहीं के सिद्धांत पर मुआवजे का भुगतान करने की देयता **-**

(1) जहां मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी अक्षमता हुई है, वहां वाहन का मालिक, या, जैसा भी मामला हो, वाहनों के मालिक, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मृत्यु या अक्षमता के संबंध में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ग

×××

×××

×××

146. तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता **-**

डी.

(1) जब तक उस व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, वाहन के उपयोग के संबंध में इस अध्याय की आवश्यकता का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो, तब तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर एक यात्री के रूप में, या किसी अन्य व्यक्ति को मोटर वाहन का उपयोग करने का कारण या अनुमति नहीं देगा।

ई.

×××

×××

×××

157. बीमा प्रमाणपत्र का हस्तांतरण **-**

(1) जहाँ कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार बीमा का प्रमाण पत्र जारी किया गया है**,** उस मोटर वाहन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है जिसके संबंध में ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पॉलिसी के साथ लिया गया था**,** बीमा का प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित की गई मानी जाएगी जिसे मोटर वाहन हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी है।

च

जी.

(2) बीमाकर्ता को बीमाकर्ता को हस्तांतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर बीमाकर्ता के प्रमाण पत्र और बीमा में वर्णित पॉलिसी में हस्तांतरण के तथ्य के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन करेगा।

एच.

उसके पक्ष में प्रमाण पत्र और बीमाकर्ता बीमा हस्तांतरण के संबंध में प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी में आवश्यक बदलाव करेगा।

×××

×××

×××

163 ए**.** संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान **-**

(1) इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

कानून का बल, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत

बीमाकर्ता मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में, दूसरी अनुसूची में बताए अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग

×××

×××

×××

177. अपराधों की सजा के लिए सामान्य प्रावधान **-**

डी.

जो कोई भी इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियमन या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि अपराध के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो पहले अपराध के लिए जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, और किसी दूसरे या बाद के अपराध के लिए जुर्माने के साथ जो तीन सौ रुपये तक हो सकता है।

ई.

×××

×××

×××

192 ए**.** बिना परमिट के वाहन का उपयोग करना **-**

(1) जो कोई मोटर वाहन चलाता है या धारा 66 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए या उस मार्ग से संबंधित परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन का उपयोग करने देता है या अनुमति देता है जिस पर या जिस क्षेत्र में या जिस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, वह पहले अपराध के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है और किसी भी बाद के अपराध के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है लेकिन तीन महीने से कम नहीं होगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है लेकिन पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दंडनीय होगा।

च

जी.

एच.

क.

बशर्ते कि न्यायालय दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कम सजा दे सकता है।

39. ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आयोग ने यह अभिनिर्धारित करने में स्पष्ट रूप से गलती की कि अपीलार्थी को यह जांच किए बिना कि क्या मोहम्मद इलियास अंसारी ने आईसीआईसीआई बैंक को कोई किश्त का भुगतान किया था, प्रतिफल का भुगतान किया गया था।

40. राष्ट्रीय आयोग का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी के नाम पर उक्त ट्रक के पंजीकरण का तथ्य अप्रासंगिक था, भी कानून में टिकाऊ नहीं है।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (30) 'मालिक' को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है।राष्ट्रीय आयोग द्वारा 'मालिक' की परिभाषा की अनदेखी और उपेक्षा की गई है।यदि उक्त ट्रक का स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित करने का इरादा होता, तो पंजीकरण हस्तांतरणकर्ता के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाता, साथ ही माल की ढुलाई के लिए उक्त ट्रक को संचालित करने की अनुमति भी दी जाती।

ग

41. यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक व्यक्ति जिसने माल गाड़ी वाहन के स्वामित्व को हस्तांतरण की प्राप्ति पर स्थानांतरित कर दिया है, वह हस्तांतरण की रिपोर्ट नहीं करेगा या पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए आवेदन नहीं करेगा, और इस तरह कानून के प्रावधानों के तहत वाहन के स्वामित्व के जोखिम और देनदारियों को वहन करना जारी रखेगा, जिसमें विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और अन्य आपराधिक/दंडात्मक कानूनों के तहत शामिल हैं।यह भी कारण नहीं है कि जिस व्यक्ति ने वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया है, उसे तीन साल से अधिक समय तक वाहन की खरीद के लिए ऋण चुकाना चाहिए, वाहन को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसियां लेनी चाहिए या अन्यथा स्वामित्व के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

डी.

ई.

42. यह भी उतना ही अविश्वसनीय है कि एक वाहन का मालिक जिसने वाहन प्राप्त करने के लिए विचार किया है, वह परमिट के हस्तांतरण पर जोर नहीं देगा और इस तरह वैध परमिट के बिना माल वाहन चलाने के दंडात्मक परिणाम के लिए खुद को उजागर करेगा।

च

43. राष्ट्रीय आयोग इस बात की भी सराहना करने में विफल रहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 157 में यह प्रावधान है कि जहां एक व्यक्ति, जिसके पक्ष में मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 11 के प्रावधानों के अनुसार बीमा का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उस मोटर वाहन का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, जिसके संबंध में इस तरह का बीमा उससे संबंधित बीमा नीति के साथ लिया गया था, तो बीमा प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित नीति को इसके पक्ष में हस्तांतरित किया गया माना जाएगा।

जी.

एच.

वह व्यक्ति जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया जाता है, उसके हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी होता है।

44. धारा 157 के स्पष्टीकरण में सभी संदेहों को दूर करने के लिए स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के मानित हस्तांतरण में उक्त बीमा प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी के अधिकारों और देनदारियों का हस्तांतरण शामिल होगा।हस्तांतरणकर्ता, हस्तांतरण की तारीख से 14 दिनों के भीतर, बीमा के हस्तांतरण के तथ्य के संबंध में बीमा प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी में आवश्यक बदलाव करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में बीमाकर्ता को आवेदन कर सकता है।बीमित मोटर वाहन के हस्तांतरणकर्ता के लिए बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र में हस्तांतरण के समर्थन के लिए आवेदन करने से बचने का कोई कारण नहीं हो सकता है, जब वाहन का उपयोग करने के लिए तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करने वाला बीमा अनिवार्य है।

ग

45. किसी भी मामले में, यदि अपीलार्थी ने अप्रैल 2008 में वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया था, तो अपीलार्थी के लिए 31.5.2011 पर अपने नाम पर बीमा कवर लेने का कोई कारण नहीं हो सकता है, जो 2.6.2011 से 1.6.2012 तक की अवधि को कवर करता है।यह अविश्वसनीय है कि हस्तांतरणकर्ता, मोहम्मद इलियास अंसारी अपने स्वामित्व वाले वाहन के संचालन का जोखिम उठाएगा, अपने नाम की बीमा पॉलिसी लिए बिना, अन्य बातों के साथ-साथ, तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करते हुए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के जनादेश के बावजूद, जो तीसरे पक्ष के बीमा के बिना मोटर वाहन के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

डी.

ई.

46. कम्प्लीट इंसुलेशन प्राइवेट में इस न्यायालय का निर्णय

लिमिटेड बनाम न्यू इंडियन एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **1**

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के संदर्भ में जिसे निरस्त कर दिया गया है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।जैसा कि उक्त निर्णय में ही देखा गया है, पुराने अधिनियम की धारा 103-ए के तहत, बीमाकर्ता को बीमा प्रमाण पत्र और/या बीमा पॉलिसी को हस्तांतरित करने से इनकार करने का अधिकार था।हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 157 एक डीमिंग प्रावधान पेश करती है जिसके तहत बीमा प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी का हस्तांतरण किया गया माना जाता है, जहां वाहन को बीमा पॉलिसी के साथ मालिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है।इस प्रावधान ने बीमाकर्ता के बीमा प्रमाणपत्र को हस्तांतरित करने से इनकार करने के अधिकार को छीन लिया है।जो पुराने अधिनियम के तहत था। डॉ. टी. वी. जोस बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। चाको पी. पी. @थंकाचन और अन्य। 2 को 1939 के मोटर वाहन अधिनियम के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया गया था।

च

जी.

1 (1996) 1 एससीसी 221 2 (2001) 8 एससीसी 748 ए

एच.

61

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

47. पुष्प @लीला और अन्य बनाम शकुंतला और अन्य 3 में,

इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या दुर्घटना के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित तीसरे पक्ष को मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व अकेले वाहन के खरीदार का था, या क्या वाहन के अभिलिखित मालिक का दायित्व सह-व्यापक था, और अभिलिखित मालिक से यह वाहन के बीमाकर्ता को दिया जाएगा।इस न्यायालय ने पाया कि जिस

व्यक्ति का नाम ट्रक के मालिक के रूप में पंजीकरण प्राधिकरण के अभिलेखों में बना हुआ है, वह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50 के साथ पठित धारा 2 (30) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे के भुगतान के लिए समान रूप से उत्तरदायी है और चूंकि अभिलिखित मालिक के नाम पर एक बीमा पॉलिसी ली गई थी, इसलिए उसे क्षतिपूर्ति दी गई थी और बीमाकर्ता तीसरे पक्ष के दावों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग

48. नवीन कुमार बनाम विजय कुमार और अन्य 4 में, एक तीन -

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (30) में 'मालिक' की परिभाषा को देखते हुए, यह वह व्यक्ति है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है, जिसे उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वाहन का मालिक माना जाएगा।जहां पंजीकृत मालिक वाहन को हस्तांतरित करने का इरादा रखता है, लेकिन वाहन के मालिक के रूप में पंजीकरण प्राधिकरण के रिकॉर्ड में परिलक्षित होता रहता है, वह मालिक के रूप में अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

डी.

ई.

49. पुष्प @लीला और अन्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय।

शकुंतला (ऊपर) और नवीन कुमार बनाम विजय कुमार (ऊपर) थे।

तीसरे पक्ष के दावों को संतुष्ट करने के लिए दायित्व के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया और इस तरह से तथ्यात्मक रूप से अलग किया जा सकता है।हालाँकि, इस न्यायालय का यह आदेश कि पंजीकृत मालिक मालिक बना रहेगा और जब पंजीकृत मालिक के नाम पर वाहन का बीमा किया जाता है, तो बीमाकर्ता किसी भी हस्तांतरण के बावजूद उत्तरदायी रहेगा, दुर्घटना के मामले में बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए दावों के मामले में समान रूप से लागू होगा।यदि बीमित व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के वैधानिक प्रावधानों और विशेष रूप से इसकी धारा 2 (30) को देखते हुए कानूनी रूप से मालिक बना रहता है, तो बीमाकर्ता दुर्घटना के मामले में अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।

च

जी.

50. इस मामले में बीमा पॉलिसी, स्पष्ट रूप से बीमा की एक व्यापक पॉलिसी थी जिसमें तीसरे पक्ष के जोखिम को भी शामिल किया गया था।बीमाकर्ता अनुबंध के केवल एक हिस्से को अस्वीकार नहीं कर सकता था।

3 (2011) 2 एससीसी 240 4 (2018) 3 एससीसी 1

एच.

जब वह दुर्घटना के कारण मृत्यु, चोट, हानि या क्षति के मामले में बीमा के उसी अनुबंध के तहत तीसरे पक्ष के प्रति अपने दायित्व से बच नहीं सकता था, तो मालिक को नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए बीमा।51. दुर्घटना के तीन दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज की गई।इस प्रकार की किसी बड़ी दुर्घटना के मामले में, जैसे कि इस मामले में, जहां उक्त ट्रक कछुआ बन गया था और नदी में गिर गया था, आघातग्रस्त चालक की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने में थोड़ी देरी, यदि कोई हो, बीमित व्यक्ति के वैध दावे को विफल नहीं कर सकती है।बेशक, हमारे विचार में, प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। माल के अंतर-राज्यीय परिवहन के दौरान गंभीर दुर्घटना के मामले में, दावा दर्ज करने में 20 दिनों की देरी भी कोई देरी नहीं है।यह किसी का मामला

नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा दायर दावा आवेदन पर समय की पाबंदी थी।इसके अलावा, बीमाकर्ता ने, किसी भी मामले में, नुकसान का आकलन करने के लिए अपने सर्वेक्षणकर्ताओं/मूल्यांकनकर्ताओं को विधिवत भेजा था।अपीलार्थी के दावे का विरोध, इस मामले में, या तो प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर, या दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के आधार पर, या दावा करने में देरी के आधार पर नहीं किया जा सकता था।

ग

डी.

52. किसी भी मामले में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और दुर्घटना की सूचना में अन्य 5 देरी, या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दस्तावेजों को जमा करने के मामले में कहा गया है, वास्तविक दावों के निपटारे पर रोक नहीं लगानी चाहिए।

53. हमारी सुविचारित राय में, राष्ट्रीय आयोग ने जिला मंच और राष्ट्रीय आयोग के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलटने में कानून की दृष्टि से गलती की, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर उक्त ट्रक का पंजीकरण, दुर्घटना की तारीख को भी, कथित हस्तांतरण के तीन साल बाद भी, बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम का अपीलार्थी द्वारा भुगतान, अपीलार्थी के नाम पर बीमा पॉलिसी जारी करना, तीन साल और सात महीने के बाद भी अपीलार्थी के नाम पर परमिट, फाइनेंसर बैंक से 'अनापत्ति' की अनुपस्थिति आदि और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 (30) में मालिक की परिभाषा की अनदेखी करना, साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान भी शामिल हैं।

ई.

च

जी.

54. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 (30) में 'मालिक' की परिभाषा को देखते हुए, अपीलकर्ता दुर्घटना की तारीख को उक्त ट्रक का मालिक बना रहा और बीमाकर्ता इससे बच नहीं सकता था।

5 (2017) 1 एससीसी 724 ए

एच.

63

सुरेंद्र कुमार भीलवे बनाम नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

मोहम्मद इलियास अंसारी को स्वामित्व के हस्तांतरण के आधार पर मालिक को हुए नुकसान के लिए देयता।

55. ओरिएंटल बीमा बनाम सोनी चेरियम 6 में इस न्यायालय का निर्णय बीमा पॉलिसी के संदर्भ में एक बीमाकर्ता के दायित्व के संदर्भ में दिया गया था और इस मामले में आकर्षित नहीं है, जहां बीमित व्यक्ति के दावे को इस आधार पर खारिज नहीं किया गया है कि वह बीमा पॉलिसी के दायरे में नहीं आता है, बल्कि बिक्री समझौते में प्रवेश करके किसी तीसरे पक्ष को कथित हस्तांतरण के आधार पर किया गया है।

56. हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय आयोग और/या अन्य मंचों के निर्णयों पर विचार नहीं किया है, जिन पर पक्षों द्वारा भरोसा किया गया है, क्योंकि वे तथ्यात्मक रूप से अलग हैं और किसी भी मामले में इस न्यायालय पर बाध्यकारी उदाहरण नहीं हैं।किसी भी मामले में, हमने संबंधित पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया है और उनसे निपटा है।

ग

57. राष्ट्रीय आयोग का निर्णय और आदेश अस्थिर है।इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है।अपील के तहत राष्ट्रीय आयोग के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और जिला मंच के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।बीमाकर्ता अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करेगा-जैसा कि जिला मंच द्वारा निर्देश दिया गया है-इस न्यायालय द्वारा दावे की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ।जिला फोरम द्वारा मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के लिए 5,000/- रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 2,000/- रुपये की राशि, हमारे विचार में पूरी तरह से अपर्याप्त है।बीमाकर्ता अपीलार्थी को अपने वैध बकाया को रोककर अपीलार्थी को हुई पीड़ा के लिए लागत और मुआवजे के लिए कुल मिलाकर रु. 1,00,000 का भुगतान करेगा।ऊपर निर्देशित राशियों का भुगतान निर्णय और आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को किया जाएगा।

डी.

ई.

च

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

6 (1999) 6 एस. सी. सी. 451

एच.